राजस्थान–सरकार

कार्यालय जिला रसद अधिकारी, डीडवाना–कुचामन

क्रमांकः रसद /FPS/विज्ञप्ति/2026/राजकाज 	दिनांक : यथाहस्ताक्षर

विज्ञप्ति 01/2026

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जिले में रिक्त एवं भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत एवं जनहित में उचित मांग के आधार पर नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के लिए इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का निनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3(1) के तहत प्राधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

इस हेतु खाद्य विभाग के पत्रांक एफ 17(1)खा.वि./विधि/08 जयपुर दिनांक 17.06.2016 एवं एफ 17 (5) खावि/न्याय/महि.आर./2019 दिनांक 25.11.2020 द्वारा जारी उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु दिशा निर्देशों के तहत सशुल्क (100/– रूपये का पोस्टल ऑर्डर) आवेदन पत्र आमंत्रित दिनांक 29.07.2026 से कार्यालय समय में (प्रार्थी स्वयं द्वारा) प्राप्त किए जाकर अंतिम दिनांक 31.08.2026 सायं 5 बजे तक (राजकीय अवकाशों को छोड़ते हुए) निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेजों के साथ कार्यालय जिला रसद अधिकारी, डीडवाना–कुचामन में जमा करवाये जा सकेंगे। आवेदन पत्र आवेदनकर्ता द्वारा निर्धारित समय अवधि में स्वयं को कार्यालय में उपस्थित होकर जामा करवाना होगा अन्य किसी भी माध्यम यथ डाक/अन्य व्यक्ति से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा। सभी रिक्तियों के लिए 30 प्रतिशत महिलाओं का क्षैतिज आरक्षण/वरीयता का रखा गया है।

नवीन प्रस्तावित उचित मूल्य दुकनों का विवरण निम्नानुसार है–

क्र. स.	तहसील	वितरण केन्द्र का नाम	पोस कोड	ग्राम पचायत/न.प./न.पा.	रिक्त/ नवसृजित	महिला आरक्षण
1	मौलासर	आहिरो का बास	12098	ग्राम पंचायत सुदरासन	रिक्त	महिला आरक्षित
2	मौलासर	ढिगाल	–	ग्राम पंचायत बेडवा	नवसृजित	अनारक्षित
3	लाडनू	बल्दु	22225	ग्राम पंचायत बल्दु	रिक्त	अनारक्षित
4	लाडनू	निम्बी जोधा	12391	ग्राम पंचायत निम्बी जोधा	रिक्त	महिला आरक्षित
5	लाडनू	निम्बी जोधा	22207	ग्राम पंचायत निम्बी जोधा	रिक्त	अनारक्षित

Signature valid
Digitally signed by Upendra Dhaka
Designation : District Supply Officer
Date: 2026.07.29 12:09:34 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 23679052
M e-Sign

6	लाडनू	हुसैनपुरा	30099	ग्राम पंचायत लाछड़ी	रिक्त	अनारक्षित
7	लाडनू	सींवा	30098	ग्राम पंचायत सींवा	रिक्त	अनारक्षित
8	लाडनू	खंगार	—	ग्राम पंचायत सीलनवाद	नवसृजित	महिला आरक्षित
9	नावां	पीपराली	14990	ग्राम पंचायत पीपराली	रिक्त	महिला आरक्षित
10	कुचामन	घाटवा	—	ग्राम पंचायत घाटवा	नवसृजित	अनारक्षित
11	कुचामन	हिराणी	30049	ग्राम पंचायत हिराणी	रिक्त	अनारक्षित
12	कुचामन	वार्ड नम्बर 14	17649	नगरपरिषद कुचामन	रिक्त	महिला आरक्षित
13	कुचामन	वार्ड नम्बर 4	—	नगरपरिषद कुचामन	नवसृजित	महिला आरक्षित
14	कुचामन	वार्ड नम्बर 30	—	नगरपरिषद कुचामन	नवसृजित	अनारक्षित
15	परबतसर	दिलढाणी	22948	ग्राम पंचायत गुढा	रिक्त	महिला आरक्षित
16	परबतसर	रूणिजा	22993	ग्राम पंचायत रूणिजा	रिक्त	अनारक्षित
17	परबतसर	खानपुर	13931	ग्राम पंचायत खानपुर	रिक्त	महिला आरक्षित
18	परबतसर	वार्ड न. 13	16246	नगरपरिषद परबतसर	रिक्त	अनारक्षित
19	परबतसर	भकरी	—	ग्राम पंचायत भकरी	नवसृजित	अनारक्षित
20	परबतसर	बागोट	—	ग्राम पंचायत बागोट	नवसृजित	अनारक्षित
21	मकराना	वार्ड नम्बर 19	16302	नगरपरिषद मकराना	रिक्त	अनारक्षित
22	मकराना	वार्ड नम्बर 13	—	नगरपरिषद मकराना	नवसृजित	अनारक्षित
23	मकराना	वार्ड नम्बर 33	—	नगरपरिषद मकराना	नवसृजित	अनारक्षित
24	मकराना	जूसरी 1	—	ग्राम पंचायत जूसरी	नवसृजित	अनारक्षित

Signature valid
Digitally signed by Upendra Dhaka
Designation : District Supply Officer
Date: 2026.07.29 12:09:34 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
23679052
M e-Sign

25	मकराना	जूसरी	31815	ग्राम पंचायत जूसरी	रिक्त	अनारक्षित
26	मकराना	कालवा छोटा	9227	ग्राम पंचायत कालवा बड़ा	रिक्त	अनारक्षित

उपरोक्त रिक्तियों के संबंध में विभागीय पत्रांक एफ 17(1) खा.वि./विधि/08 जयपुर दिनांक 17.03.2016 तथा एफ (5) खावि/महि.आर./2019 दिनांक 25.11.2020 एवं समय–समय पर जारी अन्य निर्देशों द्वारा जारी उचित मुल्य दुकानों के आवंटन के दिशा–निर्देशों में वर्णित चयन प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जावेगी। उक्त निर्देशों तथा नवसृजित/रिक्त उचित मुल्य की दुकानों के संबंध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट food.rajasthan.gov.in व जिला रसद कार्यालय डीडवाना–कुचामन में अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

उचित मुल्य दुकानों के आवंटन हेतु आवेदनकर्ताओं की पात्रताए निम्नानुसार होगी–

1. शहरी क्षेत्र की उचित मुल्य दुकान हेतु आवेदक उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए, जिस वार्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करनी है अर्थात उस उचित मुल्य दुकान की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित वार्ड में से किसी एक वार्ड का निवासी होना चाहिए।

   ग्रामीण क्षेत्र की उचित मुल्य दुकान के मामले में आवेदक उसी पंचायत के किसी भी ग्राम या वार्ड का निवासी होना आवश्यक है, जिस पंचायत में उचित मुल्य दुकान स्थित है। एक से अधिक योग्य आवेदन पत्रों के प्राप्त होने की स्थिति में वरीयता उसी वार्ड के निवासी को ही जायेगी, जिसमें उचित मुल्य दुकान स्थित है।
2. उचित मुल्य दुकान हेतु सभी श्रेणी के आवेदकों की उम्र 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए अर्थात उचित मुल्य दुकान की आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि को आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3. आवेदक की शैक्षणिक योग्यता स्नातक एवं कम्प्युटर में राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (RKCL) या अन्य 'समकक्ष सरकारी संस्थान का 3 माह आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए।' यदि उचित मुल्य दुकानों के आवेदको में कोई भी आवेदक स्नातक स्तर की शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता है, तो ऐसी स्थिति में 12वीं कक्षा उत्त्तीर्ण आवेदको के प्रार्थना पत्रों को चयन हेतु स्वीकार किया जा सकेगा। यदि आवेदक कम्प्युटर में RKCL का या समकक्ष प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हो तो आवेदन के साथ आवेदक से यह घोषणा पत्र भी लिया जावेगा, कि वह चयनित होने के आठ माह की अवधि में ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा व ऐसे चयनित व्यक्ति को प्रशिक्षण प्राप्ति के बाद ही प्राधिकार पत्र दिया जावेगा।

Signature valid

Digitally signed by Upendra Dhaka
Designation : District Supply Officer
Date: 2026.07.29 12:09:34 IST
Reason: Approved

4. उचित मुल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरूष /महिला के दिनांक 01 जनवरी 2015 के बाद पैदा हुई संतान सहित दो से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। निर्धारित तिथि पश्चात दो से अधिक संतान होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति आवेदन का पात्र नहीं होगा। उचित मुल्य दुकान आवंटन होने के पश्चात भी यदि किसी उचित मुल्य दुकानदार के तीसरी संतान होती है तो ऐसे उचित मुल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निरस्तनीय होगा, परन्तु किसी आवेदक के दिनांक 31.12.2014 को एक ही संतान है तथा पश्चातवर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतान पैदा होती है तो संतानों की गणना करते समय इस प्रकार एक प्रसव से पैदा हुई संतानों को एक इकाई ही समक्षा जाये।
5. आवेदक को दुकान आंवटन के उपरान्त जिस वितरण स्थल पर वितरण हेतु अधिकृत किया जावेगा, वह स्थान कम से कम 30 फीट रोड पर स्थित होना चाहिए तथा उसका आकार 10 गुना 20 अर्थात 200 वर्गफीट न्यूनतम होना आवश्यक है। इस वितरण स्थल के तीन ब्लूप्रिन्ट नक्शे आवेदन पत्र के साथ मूल ही संलग्न करने होंगे।
6. आवेदक द्वारा निम्न 14 बिन्दुओं को अंकित करते हुए एक घोषणापत्र लिया जावेगा–
    1. यह है कि मैने राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण विनिमयन) आदेश 1976 के तहत प्राधिकार पत्र प्राप्त करने हेतु प्रारूप ''क'' में आवेदन किया है जिसमें समस्त भरे गये बिन्दु सत्य हैं। मैने/हमने उक्त आदेश, 1976 के उपबन्धों को सावधानीपूर्वक पढ लिया है और मै/हम उक्त आदेश के उपबन्धों को तथा समय–समय पर तदधीन जारी दिशा निर्देशों की पालना करूंगा/करेंगे।
    2. यह है कि मै/संस्था आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन किसी अपराध के लिए पूर्व में दण्डित नही किया गया हूँ।
    3. यह है कि मेरा/संस्था का पूर्व में उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र गम्भीर अनियमितताओं के कारण निरस्त नही हुआ हैं।
    4. यह है कि परिवार के किसी सदस्य यथा माता, पिता, अविवाहित पुत्री, आश्रित पुत्र, माता–पिता पर आश्रित बालिग पुत्र के नाम पूर्व से कोई दुकान नही हैं।
    5. यह है कि मेरे पास राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आर.के.सी.एल.) या अन्य समकक्ष संस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण है/नही हैं, किन्तु मै यह प्रशिक्षण चयनित होने के 08 माह की अवधि में प्राप्त कर लूंगा/लूंगी। मुझे यह भी ज्ञात है कि यह प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त ही प्राधिकार पत्र जारी किया जायेगा।
    6. यह है कि मेरा दिनांक 01.01.2015 के बाद पैदा हुई संतान सहित दो से अधिक संतान नही हैं। मुझे यह भी ज्ञात है कि उचित मूल्य दुकान आंवटन होने के बाद यदि दिनांक 01.01.2015 के पश्चात् मेरी दो से अधिक संतान होगी तो ऐसा होने की स्थिति में प्राधिकार पत्र निरस्त हो जायेगा।
    7. यह है कि मै बालिग एवं स्वस्थ्य चित हूँ तथा दिवालिया घोषित नही हुआ हूँ या संस्था दिवालिया घोषित नही हैं।
    8. आवेदक को विधिक रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
    9. यह है कि मेरी/हमारी उचित मूल्य दुकान का ''अन्नपूर्णा भण्डार'' हेतु चयन होता है और मै/हम राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण नहीं करते है/करता हू, तो मै/हम अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्डों को छः माह में पूर्ण कर लेंगे/लूंगा/लूंगी। मुझे/हमें यह भी ज्ञात है कि यदि वचन–पत्र के अनुसार प्राधिकार [illegible] निर्धारित

Signature valid
Digitally signed by Upendra Dhaka
Designation: District Supply Officer
Date: 2026.07.29 12:09:34 IST
Reason: Approved

अवधि में मापदण्ड पूर्ण नही किये जाते है, तो दुकान का आंवटन निरस्त किया जा सकेगा।

10. यह है कि मेरे द्वारा प्राधिकार पत्र हेतु प्रस्तुत संलग्न आवेदन पत्र में अंकित समस्त तथ्य एंव प्रस्तुत सूचनाये/दस्तावेज सही है और कोई भी तथ्य छुपाया नही गया हैं।
11. यह है कि उचित मूल्य दुकान का आवंटन होने पर मै/संस्था दुकान का संचालन स्वंय करूँगा/करूंगी।
12. यह है कि मुझे यह भी ज्ञात है कि द्वितीय वरीयता के अन्तर्गत चयनित उचित मूल्य दुकानदार की कार्य करने की अधिकतम उम्र 60 वर्ष हैं। मै 60 वर्ष की उम्र होने पर प्राधिकार पत्र समर्पित कर दूंगा/कर दूंगी।
13. यह है कि मैरे घर में कार्यशील शौचालय है।
14. यह मेरी जानकारी मै हे कि गलत सूचनायें देना एवं ऐसा साबित होना आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन दण्डनीय अपराध हैं।

7. सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा आवेदक के सम्बन्ध में जारी न्युनतम 1,00,000/— रूपये का मूल हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेगा। (हैसियत का प्रमाण पत्र छः माह से अधिक पुराना होने पर मान्य नही होगा)। महिला स्वयं सहायता समूह के लिये कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता की अभिशंषा सहित समूह की वित्तीय हैसियत नयूनतम 25,000 रूपये होना आवश्यक होगा। समिति जो सहकारी अधिनियम के अंतर्गत पंजिकृत है, को हैसियत प्रमाण पत्र के स्थान पर समूह के वित्तीय हैसियत के संबंध में उनकी अंश पूजी का विवरण, कार्यशील पूंजी का विवरण, वार्षिक कुल राशि का विवरण एवं विगत दो वित्तीय वर्ष व चालू वर्ष के बैंक खाते के स्टेट्मेंट की प्रति मय सहायक पंजीयक/उप पंजीयक की यह अभिशंषा संलग्न करनी होगी कि समिति की वित्तीय हैसियत 25000/— रूपये है। समिति की गत तीन सह परीक्षा (ऑडिट रिपोर्ट) में गम्भीर अनियमितता नही है।
8. महिला स्वयं सहायता समूह, जो राज्य सरकार के महिला अधिकारिता विभाग से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त है। आवेदन महिला स्वयं सहायता समूह को तीन वर्ष का कार्यानुभव के आंकलन के निम्न आधार होंगे।
   - समूह का गठन कम से कम तीन वर्ष पूर्व का हो।
   - समूह का कम से कम तीन वर्ष पूर्व बैंक में खाता खुला हो।
   - समूह के सदस्य तीन वर्षो से आंतरिक लेन—देन में संलग्न हो।
9. आवेदक/समितियों/समूह/निकाय में सचिव/प्रबंधक का कम्प्युटर दक्ष एवं शैक्षणिक योग्यताओ को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस बाबत प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
10. ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्पस (बृहतर क्षेत्रिय बहुउद्देशीय सहाकारी समिति)/दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है।
11. प्रत्येक आवेदन अथवा पदाधिकारी (महिला स्वयं सहायता समूह/ग्राम सहकारी समिति/लैम्पस/दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के मामले में) को अण्डरटेकिंग

Signature valid
Digitally signed by Upendra Dhaka
Designation : District Supply Officer
Date: 2026.07.29 12:09:34 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
23679052
M e-Sign

प्रस्तुत करनी होगी कि उसके घर में कार्यशील शौचालय है। उक्त प्रावधान उचित मुल्य दुकान आवंटन के लिये अनिवार्य अर्हता होगी।

12. आवेदक द्वारा दी गई सूचनाए गलत पाये जाने पर आवंटन रद्द करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।

उक्त रिक्तियों में कमी/बढौतरी/संशोधन कार्यालय द्वारा किया जा सकता है तथा रिक्तियो को भरने /ना भरने के संबंध में कार्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।

13. सभी रिक्त/अतिरिक्त दुकानों हेतु आवेदन निर्धारित अवधि में पूर्ण दस्तावेज के साथ मय फाईल करके आवेदको को कार्यालय में जमा करवाने होंगे।

विज्ञप्ति आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(उपेन्द्र ढाका)
जिला रसद अधिकारी
डीडवाना—कुचामन

क्रमांकः सम/2026 दिनांक : यथाहस्ताक्षर

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं पालनार्थ—

1. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान अति. खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, डीडवाना—कुचामन।
4. श्रीमान विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान, जयपुर।
5. श्रीमान उपायुक्त एवं उपशासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान, जयपुर।
6. श्रीमान सांसद महोदय, नागौर।
7. श्रीमान विधायक महोदय डीडवाना/नावां/मकराना/परबतसर/लाडनू
8. ए.सी.पी. खाद्य विभाग जयपुर उक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाइट food.rajasthan.gov.in पर अपलोड करने हेतु।
9. उपखण्ड अधिकारी कुचामन/डीडवाना/नावां/मकराना/परबतसर/लाडनू
10. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी डीडवाना—कुचामन को सम्पूर्ण जिले के समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
11. प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक समस्त जिला डीडवाना—कुचामन।
12. रक्षित पत्रावली।

जिला रसद अधिकारी
डीडवाना—कुचामन

Signature valid
Digitally signed by Upendra Dhaka
Designation : District Supply Officer
Date: 2026.07.29 12:09:34 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 23679052
M e-Sign